

भारत में पंचायती राज प्रणाली और महिलाएं

कुँवर भास्कर परिहार

एम.ए. राजनीति विज्ञान

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर

भारत में पंचायती राज प्रणाली दुनिया में ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र का अनोखा और एकदम नायाब उदाहरण है। इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण होता है और प्राथमिकताओं का स्वयं निर्धारण करने का अवसर प्रदान करती है। हमारी ग्रामीण आबादी का करीब आधा हिस्सा महिलाओं का है। ये लोग पंचायती राज संस्थाओं का महत्वपूर्ण घटक हैं। लेकिन सच तो यह है कि 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था होने के बावजूद पंचायतों में उनकी वास्तविक भागीदारी एक ऐसा लक्ष्य बना हुआ है जो पूरा नहीं हो पाया है। इस विसंगति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने महिला सरपंचों को प्रशिक्षण देने का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम प्रारंभ किया है ताकि वे अपने गांवों में नेतृत्व की भूमिका सही तरीके से निभा सकें। यहां आगे हम भारत में पंचायती राज संस्थाओं के कानूनी ढांचे और इसमें महिलाओं के स्थान पर चर्चा करेंगे।

संविधान का अनुच्छेद 40: इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक को प्रतिष्ठापित किया गया है और व्यवस्था की गई है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिये कदम उठायेगा और उन्हें ऐसे अधिकार और शक्तियां देगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में सुचारू रूप से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिये ज़रूरी हैं। इसके अनुपालन में कई राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया, लेकिन उनके कामकाज में बहुत-सी कमियां नजर आईं। इनके चुनाव नियमित रूप से आयोजित नहीं किये जाते थे और आमतौर पर उनके पास कोई वास्तविक शक्तियां या विकास संबंधी भूमिकाएं नहीं थीं। इसलिये यह महसूस किया गया कि पंचायती राज संस्थाओं को कुछ अनिवार्य विशेषताओं से युक्त बनाने के प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जाये ताकि उनमें निश्चितता, निरंतरता और शक्ति का संचार हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 अस्तित्व में आया।

73वां संविधान संशोधन और भारत में पंचायती राज

73वें संशोधन से संविधान में एक नया खंड IX जोड़ा गया जिसका शीर्षक है "पंचायतें"। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 (ओ) के प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। इसके अलावा एक नई 11वीं अनुसूची भी शामिल की गई जिसके तहत पंचायतों के कार्यों के दायरे में 29 नये विषयों को शामिल किया गया है।

इस संशोधन के जरिये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों संबंधी अनुच्छेद 40 पर अमल शुरू हुआ है। लेकिन राज्यों को इस बात की पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपनी भैगोलिक, राजनीतिक-प्रशासनिक एवं अन्य स्थितियों को ध्यान में रखकर पंचायती राज प्रणाली अंगीकार करें।

महिलाओं के लिये आरक्षण

जहां संविधान का 73वां संशोधन इस बात का अधिकार देता है कि पंचायतों की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित हों, वहीं देश में कम से कम पांच राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पंचायतों में महिलाओं के लिये आरक्षण का अनुपात 50 प्रतिशत तक कर दिया है। बिहार ऐसा पहला राज्य था जिसने 2006 में इसका प्रावधान किया। इसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश भी इसी तरह का प्राधान करने को आगे आये और उन्होंने महिलाओं के लिये आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया। सिक्किम ने इसे 40 प्रतिशत रखा है।

73वें संविधान संशोधन अनिधिनियम की अन्य विशेषताएं

- त्रि-स्तरीय पंचायत प्रणाली। (20 लाख तक की आबादी वाले राज्यों बीच के स्तर को छोड़ कर दो-स्तरीय पंचायतों की व्यवस्था करने की इजाजत दी गई है।)
- पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होगा।
- ग्रामसभा की मतदाता सूचियों में पंजीकृत सभी लोग इसके सदस्य होंगे।
- सभी पंचायतों में सीधे तौर पर चुनाव के जरिये भरी जाने वाली सीटों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण की व्यवस्था होगी जो उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात में होगी और इनमें से एक तिहाई सीटें इन समूहों की महिलाओं के लिये आरक्षित होगी।

□ राज्यों के राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेंगे और सिफारिशें करेंगे।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण की आवश्यकता

देश में यह बात अधिकाधिक महसूस की जाने लगी है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण के बावजूद निर्वाचित महिला प्रतिनिधि कोई कारगर भूमिका नहीं निभा पा रही हैं। इसका कारण यह है कि उनके पास गांव के प्रशासन के लिये उपयुक्त जानकारी और पर्याप्त कौशल नहीं होता। नतीजा यह होता है कि उनके पति ही पंचायत के कर्ता-धर्ता बन जाते हैं। इसलिये निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों और अन्य महिला नेताओं में क्षमताओं के सृजन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) के प्रशिक्षण कार्यक्रम

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से 17 अप्रैल, 2017 को देशभर में महिला पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमता के निर्माण और महिला पंचायत नेताओं के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के बारे में एक विस्तृत मॉड्यूल शुरू किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य गांवों के शासन और प्रशासन के क्षेत्र में पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमताओं, दक्षताओं और कौशल का विकास करके उन्हें अधिकार संपन्न बनाना है।

प्रशिक्षण के क्षेत्र: इन महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुन कर आने के बाद जो जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी जा रही हैं उन्हें वे सही तरीके से निभा सकें। महिला और बाल विकास विभाग ने समाज के सबसे निचले स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में महिला सरपंचों तथा अन्य महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के इस देशव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की है। इन क्षेत्रों में इंजीनियरी (सड़कों, नालों, शौचालयों आदि के निर्माण), वित्तीय मामलों, सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण आदि शामिल हैं। इस प्रशिक्षण से महिला सरपंचों को आम आदमी, खासतौर पर उपेक्षित और विपदाग्रस्त लोगों के लाभ की योजनाओं और कार्यक्रमों पर अमल करने में मदद मिलेगी। इन योजनाओं में फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुरक्षा बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मातृत्व लाभ योजना आदि शामिल हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रम से इन महिलाओं को नेतृत्व के अगले पायदान तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी।

यहां यह बताना उपयुक्त होगा कि महिलाओं की सुरक्षा, बालिकाओं की शिक्षा, रोगों से बचाव के लिये टीकाकरण और देशभर में फैली लाखों आंगनवाड़ियों के जरिये पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना समाज के सबसे निम्न स्तर पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है। महिला सरपंच इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। महिला सरपंचों को वाट्सअप ग्रुप बनाने और अच्छे तौर-तरीकों के बारे में जानकारी एक दूसरे से साझा करने को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्हें एक जैसी समस्याओं के समाधान निकालने में आपस में मदद करने के लिये भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

पारदर्शिता: 14वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों को पांच साल में 02 लाख करोड़ रुपये दिये जायेंगे जबकि इससे पहले गांवों के विकास का समग्र खर्च 30, 000 करोड़ रुपये था। इस तरह सड़कों के निर्माण, जल निकास प्रणालियों, शौचालयों, खेती के तालाबों और रिहायशी मकानों के निर्माण जैसी ग्राम विकास परियोजनाओं को पूरा करने में अधिक जवाबदेही, ईमानदारी और पारदर्शिता लाने की भी आवश्यकता है। उम्मीद है कि प्रशिक्षण प्राप्त महिला प्रतिनिधि ये सब सुनिश्चित कर पायेंगी।

झारखण्ड से शुरूआत करते हुए यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम देश-भर में विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राज्यों के ग्रामीण विकास संस्थानों और पंचायती राज विकास विभागों के सहयोग से आयोजित किया जायेगा और इसके अंतर्गत देशभर में पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस समय देश में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या करीब 13 लाख है। अगर देशभर में बदलाव लाये जा सकते हैं:

1. इससे आदर्श ग्रामों के निर्माण में मदद मिलेगी,
2. इससे महिलाओं के भविष्य की नेत्रियों के रूप में तैयार करने में मदद मिलेगी।

इसके प्रशिक्षण मॉड्यूल को महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के सहयोग से तैयार किया है। प्रशिक्षण प्रतिभागिता पर आधारित है जिसमें सामूहिक चर्चाओं, चिंतन व्याख्यान, प्रदर्शन, क्षेत्र का दौरा करने, केस स्टडी खेल-कूद, कार्यशालाओं के आयोजन और व्यक्तिगत असाइनमेंट पूरे करने जैसी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। मॉड्यूल के तहत विभिन्न विषयों, जैसे 'आदर्श



पंचायत क्या है; विकास योजनाओं, पंचायतों के संसाधन और उनका उपयोग और दुर्बल वर्गों के संरक्षण के नियमों आदि पर चर्चाएं आयोजित की जाती हैं।

References

Jain, Devika, "Panchayati Raj: Women Changing Governance", 1996.

Laxmikanth, M., Indian Polity for Civil Service Examinations, 4th Edition, McGraw Hill

Education (India) Private Limited, New Delhi, pp. 34.6-34.7, 2013

Sisodia, R. S. (1971). "Gandhiji's Vision of Panchayati Raj". Panchayat Aur Insan. 3 (2): 9-10.

Sharma, Manohar Lal (1987). Gandhi and Democratic Decentralization in India. New Delhi: Deep and Deep Publications

India 2007, p. 696, Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India

Mitra, Subrata K.. (2001). "Making Local Government Work: Local elites, Panchayati raj and governance in India", in Kohli, Atul (ed.). The Success of India's Democracy. Cambridge: Cambridge University Press

Shourie, Arun (1990). Individuals, Institutions, Processes: How one may strengthen the other in India today. New Delhi, India: Viking.

Ministry of Panchayati Raj, Government of India

Uplonkar, A2005 Empowerment of Women, Mainstream, 43(12), 19-21.